

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

सं०-

/पटना, दिनांक:-

संकल्प

विषय:- उद्योग की स्थापना में प्लान्ट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश-कर की राशि का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान करने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011(समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका-1 में संशोधन के संबंध में।

राज्य में पूँजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो दिनांक 01.07.2011 से अगले पाँच वर्षों तक प्रभावी है। राज्य सरकार, बिहार ने एतद्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) की कंडिका-1 के उप शीर्षक "स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क" के उप कंडिका-(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया उप शीर्षक "प्लांट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश-कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति" एवं उसके प्रावधानों से संबंधित तीन नई उप कंडिकाएँ-(क), (ख) एवं (ग) के रूप में तुरंत के प्रभाव से जोड़ने का निर्णय लिया है:-

"प्लांट एवं मशीनरी पर चुकाए गए प्रवेश-कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(क) वैसी औद्योगिक इकाइयाँ, जिनका अधिकृत हिस्सा पूँजी या कुल निवेश 200 करोड़ ₹ से कम हो, द्वारा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी अथवा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त डी०जी० सेट के प्लांट एवं मशीनरी अथवा कैपटिव पॉवर प्लांट के निर्माण हेतु प्रयुक्त प्लांट एवं मशीनरी, यदि इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा बिक्री हेतु मालों के विनिर्माण में प्रयुक्त हो, पर चुकाए गए प्रवेश-कर की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ख) उप कंडिका-(क) की सुविधा उत्पादन पूर्व उपलब्ध होगी। इकाई में प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना आवश्यक होगी जिसकी स्थल जाँच बियाडा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारणवश इकाई द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं की गई हो, तो इसकी प्रतिपूर्ति उत्पादन के बाद इकाई को की जाएगी।

(ग) उप कंडिका-(क) की सुविधा की पात्रता की जाँच वाणिज्य-कर विभाग द्वारा की जाएगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक-

सं०सं०-4/तक०/विधि/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

ह०/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/ प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं0सं0-4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पाटलीपुत्रा, पटना/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कंपनी लि0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- /पटना, दिनांक-

सं0सं0- 4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज/अध्यक्ष, सी0आई0आई0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 1652 /पटना, दिनांक-

सं0सं0-4/तक0/विविध/बिक्री कर/संशोधन/111/2015

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

(त्रिपुरारि शरण)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

02. 09. 15

20/09/15